प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,
बरेली।

पत्रांक : 565 / वि0का0 / 2012–13 लखनऊ दिनांक : 20 जुलाई, 2012

विषयः– स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए उत्तर प्रदेश के जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों को प्रथम किश्त अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–जी.आई.–93 / अड़तीस–6–2012–11 एसजीएसवाई / 2012 दिनांक 06 जुलाई, 2012 (छायाप्रति संलग्न) जो आपको सम्बोधित एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश को पृष्ठांकित है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें शासन ने वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए डीआरडीए बरेली को स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रतिकूल / गलत ढंग से केन्द्रांश की प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी अधिक धनराशि रु0 3213.20 लाख में से रु0 2505.42 लाख को भारत सरकार के संलग्न पत्र दिनांक 05–07–2012 के साथ संलग्न सूची के कॉलम–6 के अनुसार उ0प्र0 के 53 जनपदों के जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों को वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए एसजीएसवाई के अन्तर्गत केन्द्रांश की प्रथम किश्त के रूप में स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं। उपरोक्त के साथ ही शासन द्वारा यह भी निर्देश दिये गये हैं कि उक्त धनराशि रु0 3213.20 लाख में से डीआरडीए,बरेली के पास अवशेष धनराशि रु0 707.78 लाख को भारत सरकार के अग्रिम आदेश तक किसी अन्य कार्य के लिए उपयोग नहीं की जायेगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया शासन एवं भारत सरकार के निर्देशानुसार जनपद बरेली को प्रथम किश्त के रूप में आवंटित अधिक धनराशि रु0 3213.20 लाख में से रु0 2505.42 लाख भारत सरकार के पत्र के साथ संलग्न सूची केकॉलम–6 केअनुसार 53 जनपदों के जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा अवशेष धनराशि रु0 707.78 लाख का भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी भी कार्य में उपयोग न किया जाये।

कृपया कृत कार्यवाही से एक सप्ताह के अन्दर भारत सरकार, शासन एवं इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(अजय कुमार उपाध्याय)
अपर आयुक्त(प्रशासन)
ग्राम्य विकास,उ0प्र0।

पत्रांक : 565 /वि0का0/2012–13 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सुश्री नीता केजरीवाल, निदेशक, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।

2– प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन को पत्र सं0–जी.आई–93/अड़तीस–6–2012–11 एसजीएसवाई/2012 दिनांक 06 जुलाई, 2012 के सम्बन्ध में।

3– मुख्य विकास अधिकारी, बरेली।

4– सम्बन्धित परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (भारत सरकार के पत्र में संलग्न सूची के अनुसार), को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह अपने जनपद से सम्बन्धित केन्द्रांश की धनराशि जनपद बरेली से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।

(अजय कुमार उपाध्याय)
अपर आयुक्त(प्रशासन)
ग्राम्य विकास,उ0प्र0।

Mehdi.doc.12